

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5185/2016

Oriental Insurance Co Ltd

----Appellant

Versus

Kapil Rastogi And Others

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 50/2017

Kapil Rastogi And Ors

----Appellant

Versus

Sh Shiv Dayal Gurjar And Ors

----Respondent

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 51/2017

Kapil Rastogi And Ors

----Appellant

Versus

Sh Shiv Dayal Gurjar And Ors

----Respondent

---

For Appellant(s) : Mr. Rishipal Agarwal

For Respondent(s) : Ms. Priya Rastogi

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**07/08/2023**

**S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5185/2016**

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने संशोधित शीर्षक को अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना की, निवेदनानुसार अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या-4 व 5 की तामील हेतु आदेशिका शुल्क, नोटिस सही पता सहित तीन सप्ताह में पेश करने पर दिनांक 01.11.2023 के लिए जारी हों।

उक्त अवधि में पेश नहीं होने पर अपील बिना न्यायालय को संदर्भित हुए निरस्त समझी जावे।

**S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 50/2017**

**S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 51/2017**

अपील संख्या 50/2017 में प्रस्तुत धारा-5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना-पत्र संख्या 1042/2017 एवं अपील संख्या 51/2017 में प्रस्तुत धारा-5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना-पत्र संख्या 1041/2017 दोनों पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को अधिकरण के निर्णय की सूचना देरी से मिली एवं दुर्घटना के कारण अपीलार्थी संख्या-2 व 3 अक्षम हो गए थे एवं इस कारण उपचार में व्यस्त रहने से समय पर अपील पेश नहीं कर सके, जो सद्भाविक भूल है, जिसे क्षमा किया जाए।

विचार किया गया। दावेदारों की अपील है। अपीलार्थी के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है, अतः प्रार्थना-पत्र में अंकित कारणों तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील को समयावधि में माना जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषिपाल अग्रवाल ने अपील के नोटिस स्वीकार किए, वकालतनामा प्रस्तुत करने को समय चाहा। अपीलार्थी उन्हें अपील की प्रति तीन दिन में उपलब्ध करावें।

प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की तामील हेतु आदेशिका शुल्क, नोटिस सही पता सहित तीन सप्ताह में पेश करने पर दिनांक 01.11.2023 के लिए जारी हों।

उक्त अवधि में पेश नहीं होने पर अपील बिना न्यायालय को संदर्भित हुए निरस्त समझी जावें।

(SHUBHA MEHTA),J